



2026: AHC: 29181-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1570/2026**

मिलिंद सुमन @ मिलन सुमन @ रेक्स @ चिटूयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नवनाथ पांडे, वरुणेश शुक्ल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 23.12.2025 की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करती है, जिससे केस अपराध संख्या 621 वर्ष 2025, धारा 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- फेज-II, जिला- गौतम बुद्ध नगर उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी शिकायत योग्य अपराध प्रकट नहीं होता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने तर्क दिया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दो आधार मामलों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विवादित प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और याचिकाकर्ता मुकदमे का सामना कर रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत योग्य अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017), 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) और हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024, 'प्रवर्तन निदेशालय (ED) बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' में प्रतिपादित कानून के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं की जा सकती।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दो आधार मामलों के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध विवादित प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और याचिकाकर्ता मुकदमे का सामना कर रहा है, तथा विवादित प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए, और यह तथ्य कि विवादित प्राथमिकी प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है तथा विद्वान ए.जी.ए. के तर्कों को दर्ज करते हुए, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं की जा सकती।
6. अतः, विवादित प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
7. हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाए और उसका निस्तारण किया जाए।
8. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



फरवरी 10, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"